कार्यालय नगर पंचायत मोहनलालगंज जनपद लखनऊ

पत्रांक : 1142/न0पं0मो0/मानचित्र स्वीकृति/2025–26 दिनांक : 06, अक्टूबर, 2025

आदेश

नाम– मै0 सिल्वर स्वान कन्सट्रक्शन,

पता– शुभम थियेटर बिल्डिंग, कैण्ट रोड, लखनऊ।

आप द्वारा प्रस्तुत लेआउट/मानचित्र को नगर पंचायत मोहनलालगंज की मानचित्र उपविधि के तहत एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 178, 179 के अर्न्तगत सार्वजनिक सफाई को दृष्टिगत रखते हुये अधिनियम की धारा 180 (1) के अर्न्तगत में निम्न उपबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. प्रस्तावित लेआउट/मानचित्र से सम्बन्धित निर्माण दर्शायी गयी गाटा संख्या–1873,1874ख, 1875, 1876, 1877,1878,1879क,1880,1881,1882,1883,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898, 1899,1900,1901,1902,1903, तथा 1905 की भूमि पर ही किया जायेगा।
2. सम्बन्धित लेआउट/मानचित्र के बाहरी भाग सार्वजनिक मार्ग की ओर कोई परनाला, शौचालय आदि का निर्माण नही किया जायेगा।
3. निर्माण कार्य के समय कोई भी सामग्री आदि सार्वजनिक मार्ग पर एकत्रित नही की जायेगी।
4. यदि निर्माण के स्वीकृति दिये जाने के उपरान्त यह संतुष्टि हो जाये कि नोटिस अथवा सूचना में दिये गये किसी गलत विवरण/मानचित्र के आधार पर अनुमति प्राप्त हो गई हो, तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमति रद्द की जा सकती है तथा अनुमति के अर्न्तगत किया गया निर्माण कार्य बिना अनुमति का माना जायेगा और जिसको तुड़वाया/गिराया भी जा सकेगा।
5. यदि प्रार्थी द्वारा सरकारी भूमि/तालाब पर अतिक्रमण कर कार्य किया जाता है तो स्वीकृति/प्रमाणित लेआउट/मानचित्र निरस्त समझा जायेगा।
6. प्रस्तुत लेआउट/मानचिंत्र के अर्न्तगत प्रदर्शित नगर पंचायत मोहनलालगंज क्षेत्र में दी जा रही है, भविष्य मे विस्तार होने पर पुनः स्वीकृति लेनी होगी।
7. समस्त विकास/निर्माण कार्य करते समय भूजल संरक्षण व पर्यावरणीय क्लीयरेंस के तहत निर्माण कार्य कराना होगा। पर्यावरणीय क्लीयरेंस, अग्निशमन विभाग की अनापत्ति एवं अन्य सम्बन्धित विभागों की अनापत्ति (आवश्यक होने पर) लेने की जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म की होगी।
8. सरकारी भूमि/तालाब पर कोई भी निर्माण कार्य आप द्वारा किया जाता है तो वह अवैध माना जायेगा तथा लेआउट/मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
9. सम्बन्धित भूखण्ड के बारे में कोई भी न्यायिक वाद लम्बित होने की दशा में लेआउट/मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
10. प्लाटिंग क्षेत्र का कम से कम 40 प्रतिशत भाग हरित क्षेत्र तथा सड़क निर्माण के लिये होनी चाहिये तथा सड़क की चौड़ाई क्रमशः 40 फीट, 30 फीट व 20 फीट भूमि/स्थान की उपलब्धता के अनुसार होनी चाहिये।
11. प्रदान की गई स्वीकृति नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 181 के अधीन मात्र एक वर्ष के लिये ही मान्य होगी।

संलग्नक– मानचित्र की एक प्रति।

राजेश कुमार

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत मोहनलालगंज
जनपद लखनऊ

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत मोहनलालगंज
जनपद-लखनऊ

अध्यक्ष
नगर पंचायत मोहनलालगंज
जनपद लखनऊ

अध्यक्ष
नगर पंचायत मोहनलालगंज
लखनऊ

कार्यालय नगर पंचायत मोहनलालगंज जनपद लखनऊ

पत्रांक : 176 /न0पं0मो0/मानचित्र स्वीकृति/2026–27 दिनांक : 03, जून, 2026

आदेश

नाम– मै0 सिल्वर स्वान कन्सट्रक्शन,

पता– शुभम थियेटर बिल्डिंग, कैण्ट रोड, लखनऊ।

नगर पंचायत मोहनलालगंज जनपद लखनऊ द्वारा स्वीकृत मानचित्र आदेश संख्या–1142/न0पं0मो0/मानचित्र स्वीकृति/ 2025–26 दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत समयवृद्धि प्रार्थनापत्र दिनांक 29.05.2026 के कम में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 181 के अन्तर्गत दिनांक 04.06.2026 से 03.06.2027 तक (01 वर्ष) की समयवृद्धि प्रदान की जाती है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत मोहनलालगंज
जनपद लखनऊ

अध्यक्ष
नगर पंचायत मोहनलालगंज
जनपद लखनऊ